(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 67 / 2024
पंजीकरण सं. :– 2024 / 151

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ(राज.)
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री रमेशचंद्र पुत्र श्री गोरधन लाल जाति जाटव निवासी जगजीवन राम कॉलोनी, शाहबाद रोड, वार्ड नं. 21, बारां जिला बारां (राज.) (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स जयंत ट्रेडिंग कंपनी, अंबेडकर सर्किल, बारां जिला बारॉ (राज.)
2. श्री अरविंद जैन पुत्र श्री छगन लाल निवासी खजूरपुरा वार्ड दीनदयाल पार्क, बारां जिला बारां (मालिक) मैसर्स रूचि कन्फैक्सनर्स दीनदयाल पार्क, बारां
3. श्री राजेन्द्र कुमार डंगयाच पुत्र श्री कालूराम डंगयाच निवासी 645, जयलाल मुंशी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर (मालिक) मैसर्स नारायण सैल्स कार्पोरेशन, शॉप नं. 46, जौहरी बाजार जयपुर 302003
4. मैसर्स परम डेयरी लि0, परम नगर जीटी रोड, खुर्जा 203131 जिला बुलंदशहर (उ.प्र.) (निर्माता)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री संदीप सिसोदिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 28.02.2025

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.09.2023 को मै. जयंत ट्रेडिंग कंपनी, अंबेडकर सर्किल, बारां जिला बारॉ (राज.) पर पहुंचा। वहॉ पर श्री रमेशचंद्र पुत्र श्री गोरधन लाल जाति जाटव (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.09.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक आयुक्ता0 / खासुऔनि / संस्था / 2022 / 6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **एगमार्क देशी घी (परम) मूल गत्ते पैक** 10 किग्रा आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **एगमार्क देशी घी (परम) मूल गत्ते पैक** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **एगमार्क देशी घी (परम) मूल गत्ते पैक** 02 किलो ग्राम मूल गत्ते पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री रमेशचंद्र पुत्र श्री गोरधन लाल जाति जाटव (विक्रेता एवं मालिक) को 1280 / – रूपये (अक्षरे बारह सौ अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 13:07:12 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **एगमा[illegible] (परम) मूल गत्ते पैक** के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. [illegible] प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के [illegible] अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा [illegible] ए.एच.–1974 नियमानुसा[illegible] नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे [illegible] बांध कर नियमानुसार सी[illegible] किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री श्री रमेशचंद्र पुत्र श्री गोरधन लाल जाति जाटव (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्सलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र कमांक/एफएसएसए/2023/477 दिनांक 31.10.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 1654/PHL/kota/Act/2023/1663 दिनांक 13.10.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **एगमार्क देशी घी (परम) मूल गत्ते पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(Zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 02.08.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राज. सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **एगमार्क देशी घी (परम) मूल गत्ते पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विकय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के कथनों को दौहराते हुये कथन किया गया कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट गलत है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा गलत सेंपल लिया गया है। खाद्य पदार्थ एगमार्क देशी घी (परम) मूल गत्ते पैक की आर.एच. वैल्यू अलग–अलग क्षेत्रों में अलग–अलग होती है। प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सेम्पल लेने के लिए अधिकृत नहीं है। प्रार्थी द्वारा किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये है। अतः निवेदन है कि हमारे खिलाफ प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 1654/PHL/kota/Act/2023/1663 दिनांक 13.10.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को धारा 46(4) के तहत जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है। प्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ का सेम्पल लिया गया है, उसका बिल लगा हुआ है जिसकी जिम्मेदारी जारीकर्ता की होती है कि उत्पाद मानक रूप है। यह सही है कि आर.एच. वैल्यू अलग–अलग क्षेत्रों में अलग–अलग होती है लेकिन 24 से कम नहीं होती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सेम्पल लेने के लिए अधिकृत है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये है जिससे संबंधित दस्तावेज पत्रावली में संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सेम्पल लेने के लिए अधिकृत है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी कम 01 से वास्ते नमूना जॉच हेतु कय किया गया खाद्य पदार्थ **एगमार्क देशी घी (परम) मूल गत्ते पैक** खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 1654/PHL/kota/Act/2023/1663 दिनांक 13.10.2023 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी क्रम 04 को कुल जुर्माना राशि 1,00,000/– रूपये (अक्षरे एक ला[illegible] के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 04 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से [illegible]करवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्र[illegible] 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय [illegible]न्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **28.02.2025** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)